ई सी जी सी लिमिटेड

भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के लिए
परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु

प्रस्ताव अनुरोध (आरएफ़पी)

संदर्भ सं . ईसीजीसी/आरएफ़पी/इंड-एएस/01/2016
दिनांक: नवम्बर 23, 2016

ईसीजीसी लिमिटेड

निर्मल पाँचवी मंज़िल , नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021

ई सी जी सी लिमिटेड

क्रं.सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	अस्वीकरण	3
2	बिड का विवरण	4
3	ईसीजीसी लिमिटेड की रूपरेखा	5
4	उद्देश्य	5
5	संदर्भ शर्तें	5
6	कार्य की कार्यावधि	9
7	योग्यता शर्तें	9
8	बिड प्रस्ताव प्रक्रिया	10
9	आरएफ़पी की खरीद एवं बयाना राशि जमा	11
10	मूल्यांकन मानदंड	12
11	गोपनीयता समझौता / निष्पादन गारंटी	14
12	भुगतान शर्तें	14
13	विविध निबंधन व शर्तें	15
14	अनुलग्नक ए : आवरण पत्र – तकनीकी प्रस्ताव	17
15	अनुलग्नक बी : प्रस्ताव फॉर्म	18
16	अनुलग्नक सी : तकनीकी बिड	20
17	अनुलग्नक डी : आरएफ़पी एवं एनएमडी मूल्य हेतु आवरण पत्र	22
18	अनुलग्नक ई : वाणिज्यिक बिड	23
19	अनुलग्नक एफ : वचन पत्र	24
20	अनुलग्नक जी : व्यावसायिक कर्मचारियों का विवरण	25
21	अनुलग्नक एच : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकार पत्र	26

अस्वीकरण

प्रस्ताव दस्तावेज़ हेतु अनुरोध के इस दस्तावेज़ (आर एफ पी दस्तावेज़ / बिड दस्तावेज़) में शामिल जानकारी , ई सी जी सी द्वारा मेल अथवा किसी अन्य रूप से बिडरों को तत्पश्चात प्रदान की जाने वाली जानकारी , इस आर एफ पी दस्तावेज़ में उपलब्ध निबंधनों व शर्तों के आधार पर प्रदान की गयी है।

यह आर एफ पी दस्तावेज़ न तो ई सी जी सी द्वारा बिडरों के साथ किए जाने वाला कोई समझौता है न ही इच्छुक बिडरों द्वारा बिड प्रक्रिया में प्रतिभागिता हेतु आमंत्रण है। इस आर एफ पी दस्तावेज़ का उद्देश्य बिडरों को उनके प्रस्तावों के निरूपण में सहायता करने के लिए मात्र जानकारी प्रदान करना है तथा आवश्यक नहीं है कि इसमें उनके लिए आवश्यक पूरी जानकारी उपलब्ध हो।

इस आर एफ पी दस्तावेज़ के सही होने, विश्वस्तता , अथवा पूर्णता के संबंध में किसी कानून, नियम अथवा विनियमों के अधीन ई सी जी सी की कोई देयता नहीं होगी। इस आर एफ पी दस्तावेज़ में उपलब्ध जानकारी का अद्यतन करने, संशोधन करने अथवा अनुपूरक जानकारी प्रदान करने के लिए ई सी जी सी का पूर्ण प्राधिकार होगा परंतु वह इसके लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा।

ई सी जी सी को बिना कोई कारण बताए , किसी भी अवस्था में इस आर एफ पी दस्तावेज़ के अधीन प्राप्त बिड़ों / प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्तावों को नामंज़ूर करने का अधिकार है। इस संबंध में ई सी जी सी का निर्णय सभी पार्टियों के लिए निर्णयकारी तथा बाध्यकारी होगा।

प्रस्ताव दस्तावेज़ के लिए अनुरोध की प्रतिकृया में बिडर द्वारा प्रदान की गयी जानकारी ई सी जी सी की संपत्ति बन जाएगी तथा ई सी जी सी उसे वापस नहीं लौटाएगा।

1. बिड विवरण

1	बिडिंग प्रक्रिया के आरंभ होने की तारीख (यथा ई सी	23.11.2016

	जी सी के वेब साइट पर टेंडर दस्तावेज़ की पोस्टिंग की तारीख)	
2	बिडरों से स्पष्टीकरण के लिए मेल के जरिये जानकारी की प्राप्ति की अंतिम तारीख	28.11.2016
3	ई सी जी सी द्वारा बिडरों की पूछताछ पर स्पष्टीकरण प्रदान करने की अंतिम तारीख	01.12.2016
4	तकनीकी तथा वित्तीय बिड सहित बिडिंग दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तारीख	06.12.2016
5	तकनीकी बिड़ों की आरंभिक तारीख	07.12.2016
6	तकनीकी / वाणिज्यिक बिड की वैधता अवधि	बिडिंग दस्तावेज़ों की प्रस्तुति की अंतिम तारीख के पश्चात नब्बे (90) दिन यथा 06 मार्च 2017 तक
7	योग्यता हेतु बिडर को , **" पात्रता मानदंड "** शीर्ष के अधीन निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार तकनीकी बिड में कम से कम 70% अंक प्राप्त होने चाहिए । इन पात्र बिडरों को ई सी जी सी द्वारा ई मेल के जरिये सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात, श्रेष्ठ तीन बिडरों को **(आहर्ता के आधार पर) ई सी जी सी की परियोजना संचालन समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा।** जिस बिडर को तकनीकी प्रस्ताव तथा प्रेजेंटेशन के लिए आबंटित अंकों में मिलकर सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं उनमें से तीन प्रमुख बिडरों जिन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था , के न्यूनतम वाणिज्यिक कोट पर संविदा प्रदान की जाएगी ।	
8	पत्राचार का पता (ई सी जी सी)	नाम : श्री सी एन ए अंबरसन पदनाम : महाप्रबंधक वित्त व लेखा विभाग ई मेल : accounts@ecgc.in नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 संपर्क सं : 02266590725
9	बयाना राशि (ई एम डी)	ई सी जी सी , मुंबई के पक्ष में देय 50,000/- (पचास हज़ार रु) का डिमांड ड्राफ्ट। ई एम डी तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट : ई सी जी सी के स्वविवेक से समय सीमा में परिवर्तन संभव है।

2. ई सी जी सी का प्रोफ़ाइल

ई सी जी सी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना कंपनी नियम के अधीन 30.07.1957 में की गयी थी, जो भारत में बैंकों तथा निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सुविधाएं प्रदान करता है। यह वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, तथा इसका प्रबंधन सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग व बीमा तथा निर्यातक समुदाय के प्रतिनिधियों से बने निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। ई सी जी सी साधारण बीमा श्रेणी के अधीन आई आर डी ए आई में पंजीकृत है तथा इसका पंजीकरण सं 124 है। विगत कई वर्षों के दौरान इसने भारतीय निर्यातकों व वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं के अनुरोप कई निर्यात ऋण जोखिम उत्पादों को विकसित किया है। ई सी जी सी राष्ट्रिय निर्यातों पर रक्षा की दृष्टि से विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा ऋण बीमाकर्ता है। 58 शाखा कार्यालयों तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कंपनी की वर्तमान चुकता पूंजी 1300 करोड़ रु है तथा दिनांक 31.03.2016 तक प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रु है।

3. उद्देश्य

ई सी जी सी द्वारा , 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधियों के लिए तुलनाओं सहित , दिनांक 1 अप्रैल 2018 से लेखा अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु इंड ए एस (भारतीय लेखा मानकों) का अनुपालन आवश्यक है। इस संबंध में ई सी जी सी , इस आर एफ पी में दिये गए संदर्भ शर्तों के अनुसार , भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए ख्याति प्राप्त तथा अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले परामर्शदाताओं से प्रस्ताव हेतु आवेदन (आर एफ पी) आमंत्रित करता है।

4. संदर्भ शर्तें

इस कार्य का उद्देश्य , एम सी ए / आई सी ए आई द्वारा अधिसूचित मानकों तथा भा रि बैं / आई आर डी ए आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आंकड़ों को जी ए ए पी से इंड ए एस में परिवर्तित (विस्थापित) करने में ई सी जी सी की सहायता करना है।

4.1 फेज - I - नैदानिक अध्ययन व प्रभाव विश्लेषण

परामर्शदाता को निम्नलिखित सूचक कार्य करने होंगे :

(क)वर्तमान लेखा संरचना तथा इंड ए एस में अंतर का नैदानिक विश्लेषण

(ख) ई सी जी सी के तुलन पत्र आंकड़ों , लाभ योजना, बजट बनाने , कर हेतु प्रावधान करने, पूंजी योजना , परिसंपत्तियों की हानि, आई आर डी ए आई के अनुसार शोधन क्षमता अनुपात, महत्वपूर्ण लेखा क्षेत्र जैसे वित्तीय उपकरण , राजस्व मान्यता, पट्टा किराया, कर्मचारी लाभ, आस्थगित कर, समेकन तथा प्रावधान आदि पर , इंड ए एस कार्यान्वयन के संभावित प्रभाव का विश्लेषण।

(ग) इंड - ए एस को अपनाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आरंभिक मुद्दे तथा संभावित " अचानक उत्पन्न होने वाले मुद्दे "

(घ) ई सी जी सी द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर / सू प्रौ सूचना प्रणालियों में आवश्यक संशोधनों की दृष्टि से इंड ए एस प्रभाव मूल्यांकन करना।

(ङ) परियोजना के सामयिक व निर्बाध कार्यान्वयन के लिए पूरे परियोजना के दौरान ई सी जी सी प्रबंधन के साथ गहरे समन्वय के साथ कार्य करना ताकि ई सी जी सी समय समय पर आई आर दी ए आई द्वारा निर्धारित समय सीमा व योजना के भीतर इंड ए एस के अधीन इसके लेखे तैयार कर सके।

(च) बेंचमार्क लेखांकन नीतियों को तैयार करना जो कि इंड ए एस / आई आर डी ए आई के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(छ) आई आर डी ए आई / कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय / इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निरशेषों /सिफ़ारिशों के अनुरूप तथा ई सी जी सी की संतुष्टि के अनुसार , इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए (समय तथा क्रम सहित) रोड मैप सहित व्यापक " परियोजना रिपोर्ट " प्रस्तुत करना।

(ज) भारतीय जी ए ए पी तथा इंड ए एस के बीच अवलोकन, चुनौतियाँ तथा मुख्य अंतरों पर मूलभूत कार्यकारी समूह को प्रशिक्षित करना।

4.2 फेज II – प्रक्रिया / प्रणाली परिवर्तन

इंड ए एस की आवश्यकताओं के साथ अनुपालनीय नीतियों तथा प्रक्रियाओं के निरूपण तथा मान्य करने में ई सी जी सी की सहायता करना जिसमें निम्न शामिल हैं :

(क) ई सी जी सी में इंड ए एस 104 (बीमा संविदाएं) तथा इंड ए एस 109 (वित्तीय उपकरण) कार्यान्वित करना

(ख) ई सी जी सी के आस्थगित कर पर कराधान का प्रभाव

(ग) पहली बार छूट / विकल्प प्राप्त करने की सिफ़ारिश

(घ) सिस्टम में आवश्यक संशोधन करने के लिए ई सी जी सी सू प्रौ कार्मिकों तथा विक्रेताओं को सूचित करना तथा इंड ए एस में शामिल आई एफ आर एस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंकड़े तथा रिपोर्ट जनरेट करने को सुनिश्चित किया जाना ।

(ङ) वास्तविक परिवर्तन के पहले लेखा प्रणाली तथा आरंभ से अंत तक रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पूर्वाभ्यास में ई सी जी सी की सहायता करना।

(च) ई सी जी सी के इंड ए एस कार्यान्वयन टीम के लिए प्रशिक्षण नीति तथा शैक्षिक विषय वस्तु निरूपित करना ।

(छ) भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) / कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एम सी ए) / इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन को समय पर शामिल किया जाना तथा उन संशोधनों हेतु प्रक्रिया विकसित करना।

(ज) वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु उचित प्रलेखन के साथ ई सी जी सी को आवश्यक नमूने प्रदान करना।

(झ) तिमाही आधार पर नवीनतम इंड ए एस कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाते हुए ई सी जी सी की इंड ए एस परियोजना संचालन समिति / बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुति।

(ञ) 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त 3 री तिमाही के लिए आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आई आर डी ए आई को रिपोर्ट करने हेतु इंड ए एस के अधीन प्रोफ़ार्मा वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु ई सी जी सी की सहायता करना। दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इंड ए एस के अधीन वित्तीय विवरणों का मान्यकारण करना।

4.3 फेज III - प्रकटन सहित इंड ए एस वित्तीय विवरणों को जनरेट करना

(क) 1 अप्रैल 2017 को इंड ए एस अनुपालक आरंभिक तुलन पत्र तैयारी तथा उसके मान्यकरण के लिए ई सी जी सी के प्रबन्धन तथा सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय में कार्य करना; सम तारीख की ईक्विटी के लिए भारतीय जी ए ए पी तथा इंड ए एस के बीच मिलान विवरण तैयार करना।

(ख) इंड ए एस के अधीन आवश्यक उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाते हुए प्रकटनों का मसौदा तैयार करने के लिए ई सी जी सी के प्रबंधन के साथ समन्वय करना।

(ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 की तिमाहियों / चमाहियों / वार्षिक इंड ए एस वित्तीय विवरण की तैयारी व मान्यकरण के लिए ई सी जी सी के प्रबंधन वर्ग तथा सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करना।

4.4 फेज IV - समीक्षा के दौरान इंड ए एस वित्तीय विवरणों तथा सहायता का मान्यकरण

(क) उक्त फेज III के अनुसार जनरेटेड इंड ए एस वित्तीय विवरणों का मान्यकरण तथा मुख्य प्रबंधन / बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति

(ख) इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में आई आर डी ए आई तथा ई सी जी सी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों , यदि कोई हो तो के उत्तर देने में ई सी जी सी की सहायता करना।

(ग) जब भी आवश्यकता पड़े तब परियोजना संचालन समिति / मुख्य प्रबंधन के साथ चर्चा।

(घ) इंड ए एस अनुपालक वित्तीय विवरणों की तैयारी / लेखा परीक्षा से एक वर्ष तक यथा मार्च 2020 को समाप्त वर्ष तक इंड ए एस के संबंध में, नए विकास पर या किसी अन्य मामले में दिशा निर्देश , सिफ़ारिश प्रदान करना ।

(उपर्युक्त सूची अपने आप में पूरी नहीं है, यथा जब भी आई आर डी ए आई / एम सी ए / आई सी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा ई सी जी सी द्वारा निरूपित संबन्धित नीतियों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक व्यावसायिक सहायता प्रदान की जानी अपेक्षित है।)

4.5 प्रश्नों का स्पष्टीकरण

संभावित बिडर के रूप में यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हुआ तो इस आर एफ पी दस्तावेज़ में दर्शाये अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर accounts@ecgc.in ई मेल द्वारा ई सी जी सी को लिखें।

ई सी जी सी, संभावित बिडरों से प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए किसी भी आवेदन का ई मेल से उत्तर देगा, जो उसे दिनांक 14.10.2016 तक कार्यालयीन समय के भीतर प्राप्त हो।

4.6 पूर्ण अध्ययन

इस आर एफ पी की विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक पढ़ने एवं परीक्षण के उपरांत बिड प्रस्तुत किए जाएँ। बिड हर दृष्टि से विधि पूर्वक, व पूर्ण हों तथा इस आर एफ पी की आवश्यकता अनुसार केवल निर्धारित प्रारूप में हों। इस आर एफ पी में आवश्यकता अनुसार पूर्ण जानकारी प्रस्तुत न की जाने पर अथवा बिडर द्वारा इस आर एफ पी की सभी आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने का परिणाम बिड के नामंज़ूर होना हो सकता है जिसकी ज़िम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में ई सी जी सी की नहीं होगी।

4.7 आर एफ पी में संशोधन

बिड्स / प्रस्तावों की प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा के पहले किसी भी समय ई सी जी सी द्वारा , किसी भी कारणवश चाहे उसके स्वयं की मर्ज़ी हो अथवा किसी संभावित बिडर के अनुरोध के स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया के इस आर एफ पी दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है। ई सी जी सी द्वारा जारी कोई भी स्पष्टीकरण परिशिष्ट / शुद्धिपत्र के रूप में होगा, तथा यह ई सी जी सी के वेब साइट http://www.ecgc.in. पर उपलब्ध होगा। इस प्रकार के संशोधन उनके लिए बाध्यकारी होंगे तथा इस आर एफ पी का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

5. कार्य की अवधि

यह कार्य आर एफ पी में उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए। यदि परामर्शदाता आर एफ पी में निर्धारित समय सीमा अथवा विस्तार , यदि मंजूर किया गया तो , के भीतर उक्त कार्य पूरा करने में असमर्थ होता है तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी प्रकार के विलंब पर ई सी जी सी का अधिकार होगा कि वह आदेश को रद्द कर दे।

6. पात्रता मानदंड

क्र सं	**पात्रता मानदंड**	**प्रस्तुत दस्तावेज़**
1	परामर्शदाता का भारत में निगमित अथवा पंजीकृत भागीदारी / फर्म / एल एल पी / लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। यह एकल अथवा एकाधिकारवत कंपनी नहीं हो।	कंपनी रजिस्ट्रार / भागीदारी विलेख द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
2	दिनांक 31.03.2016 तक भारत मे बीमा कंपनियाँ / बैंक / वित्तीय संस्थान की पिछले 3 वर्षों के दौरान इंड ए एस परिवर्तन तथा / अथवा आई एफ आर एस लेखा परीक्षा का अनुभव हो।	ग्राहक से प्रमाण पत्र तथा / अथवा आबंटन पत्र
3	परामर्शदाता फर्म की कार्य स्वीकार करने के इन हाउस क्षमता होनी चाहिए। संयुक्त बिड स्वीकार नहीं किए जाएँगे।	वचन पत्र
4	बिडरों का कम से कम पाँच वर्ष पुराना (	आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ

	दिनांक 31.03.2016) स्थायी कार्यालय होना अनिवार्य है।	स्वघोषणा जैसे समझौता , बिजली बिल आदि।
5	बिडर भारत में किसी सरकार / वित्तीय संस्थान / बैंकों / सरकार / अर्ध सरकारी संस्थान / विभागों द्वारा प्रतिबंधित न हों।	उनके पत्रशीर्ष पर बिडर द्वारा स्व घोषणा
6	बिडर का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 10 करोड़ रु का औसत पण्यावर्त हो तथा 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पिछले दो वित्तीय के लिए लाभ दर्ज किया हो।	दिनांक 31.03.2016 को समाप्त तीन वित्तीय वर्षों के लिए आय कर विवरणियाँ तथा लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण की प्रतियाँ।
7	बिडर के कम से कम भारत में 7 भागीदार हों तथा दिनांक 31.03.2016 तक कम से कम 10 पूर्णकालिक व्यावसायिक कर्मचारी उसके रोल्स में हों। " व्यावसायिक कर्मचारी " का तात्पर्य है चार्टर्ड अकाउंटंट / आई सी डबल्यू ए की न्यूनतम योग्यता के साथ पूर्णकालिक कर्मचारी।	बिडर द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर स्व घोषणा।
8	बिडर के फर्म का मालिक , ई सी जी सी के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक न अथवा उसके नियंत्रणाधीन न हो।	बिडर द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर स्व घोषणा।

7. बिड प्रस्ताव प्रक्रिया

प्रस्ताव हेतु आवेदन दस्तावेज़ ई सी जी सी के वेब साइट www.ecgc.in पर उपलब्ध होगा। इच्छुक परामर्शदाता फर्म अपने प्रस्तावों को " तकनीकी बिड " तथा " वाणिज्यिक बिड " के 2 अलग अलग सील बंद लिफाफों में जिस पर बड़े अक्षरों में " ई सी जी सी में इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आवेदन " लिख कर प्रस्तुत करें।

तकनीकी प्रस्ताव :

इस दस्तावेज़ में वैचारिक डिजाइन तथा कार्यान्वयन अवस्था का स्पष्ट ले आउट तथा प्रत्येक अवस्था के अंत में पूर्ण किए गए चरण। इसमें किसी बीमा कंपनी / बैंक / वित्तीय संस्थान के लिए किए गए इस प्रकार के कार्य के विवरण भी शामिल होने चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव में परियोजना के विभिन्न अवस्थाओं में प्रस्तावित टीम , उसकी संरचना तथा मुख्य व्यक्ति के विवरण भी शामिल होने चाहिए।

वाणिज्यिक प्रस्ताव :

इसमें संपून परियोजना की अवधि के दौरान कार्य के लिए कुल शुल्क / लागत सहित वित्तीय कोट शामिल होने चाहिए। वित्तीय कोट भारतीय रुपये में होना चाहिए तथा सभी व्यय तथा लागू कर सहित होने चाहिए।

" तकनीकी बिड " तथा " वाणिज्यिक बिड " के लिफाफों को बड़े अक्षरों में इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए " तकनीकी तथा वाणिज्यिक बिड " लिखा हुआ एक अलग सील बंद लिफाफे में रखा जाये।

8. आर एफ पी खरीदना तथा बयाना राशि जमा :

इच्छुक पात्र बिडर आर एफ पी दस्तावेज़ को ई सी जी सी के वेब साइट www.ecgc.in से डाउन लोड कर सकते हैं तथा तकनीकी प्रस्ताव (अलग लिफाफे में) " ई सी जी सी लिमिटेड " मुंबई के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से आहारित 5000/- रु (पचास हज़ार रु) का

वापस न लौटाए जाने योग्य डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि बिड्स के साथ आवश्यक राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न किए जाने पर बिड को नामंज़ूर किया जा सकता है।

बयाना राशि जमा :

बिडर द्वारा मुंबई में देय " ई सी जी सी लिमिटेड " के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से आहारित 50,000/- (पचास हज़ार रु) का डिमांड ड्राफ्ट बिड के भाग के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

बयाना राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

बयाना राशि को आर एफ पी दस्तावेज़ पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप अलग लिफाफे में " ई एम डीडी व आर एफ पी " अंकित करके तकनीकी बिड के लिफाफे के अंदर रख कर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की डिमांड ड्राफ्ट की अप्रस्तुति पर बिना किसी पत्राचार के बिड को नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

जिस बिडर का बिड नामंज़ूर हो जाता है उनके ई एम डी को , सफल बिडर के साथ ई सी जी सी के समझौते की तारीख से 15 दिनों के पश्चात वापस लौटा दिया जाएगा।

बिड की वैधता अवधि के दौरान यदि बिडर अपने बिड को वापस ले लेता है तो ई एम डी जब्त कर ली जाएगी।

सफल बिडर की ई एम डी निम्नलिखित मामलों में जब्त की जाएगी :

- कार्य को स्वीकार करने में असफल।
- निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में असफल
- निर्धारित अवधि के भीतर संबन्धित सेवाएँ प्रदान करने में असफल।
- आर एफ पी के निबंधन व शर्तों का अनुपालन न कर पाना

9. मूल्यांकन मानदंड

प्रत्येक बिडर का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर 100 अंकों के स्केल पर मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी बिड के लिए सत्तर अंक तथा प्रेजेंटेशन के लिए तीस अंक निर्धारित किए गए है।

	मूल्यांकन मानदंड	**अधिकतम अंक**	**अंक देने की प्रणाली**		**प्राप्तांक**
1	दिनांक 31.03.2016 तक बीमा / बैंक / वित्तीय संस्थान पिछले तीन वर्षों के दौरान आई एफ आर एस / इंड ए एस के परिवर्तन का अनुभव प्राप्त हो ।	30	मानदंड	अधिकतम अंक	
			बीमा / बैंक / वित्तीय संस्थान में आई एफ आर एस / इंड ए एस के अधीन इस प्रकार के एक परिवर्तन / लेखा परीक्षा के लिए	20	
			बीमा / बैंक / वित्तीय संस्थान में इस प्रकार के प्रत्येक अतिरिक्त परिवर्तन / लेखा परीक्षा के लिए 5 अंक	10	
2	सफल परिवर्तन के लिए ई सी जी सी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मनुष्य बल का होना।	20	मानदंड	अंक	
			भागीदार के लिए 7 तथा भारत में पूर्णकालिक व्यावसायिक	15	

			कर्मचारियों के लिए 10 अंक	
			प्रत्येक 3 अतिरिक्त भागीदार के लिए तथा भारत में अतिरिक्त 5 व्यावसायिक कर्मचारी के लिए 1 अंक "व्यावसायिक कर्मचारी का अर्थ है बिडर के पे रोल्स पर चार्टर्ड अकाउंटंट / आई सी डबल्यू ए के न्यूनतम योग्यता के साथ पूर्णकालिक कर्मचारी	5
3	आई एफ आर एस में डिप्लोमा के साथ व्यावसायिक कर्मचारी	10	मानदंड	अंक
			आई एफ आर एस में डिप्लोमा वाले कर्मचारी के लिए प्रत्येक के लिए एक अंक	10
4	दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिडर का औसत राजस्व	10	मानदंड	अंक
			रु . 10 करोड़ से रु 20 करोड़ तक	8
			रु 20 करोड़ से अधिक व रु 50 करोड़ तक (अतिरिक्त अंक)	1
				1
	कुल भाग I	**70**		
	भाग II			
5	प्रस्तावित कार्यान्वयन	30	इस उद्देश्य के लिए परियोजना	

	योजना का प्रेजेंटेशन		संचालन समिति के नामित सदस्यों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।	
	कुल भाग I + भाग II	**100**		

मूल्यांकन तीन चरण प्रक्रिया है

क) न्यूनतम 70% (70 में से)अंक पाने वाले बिडर तकनीकी बिड के लिए पात्र होंगे। तथापि केवल तीन प्रमुख बिडरों को (आहर्ता के आधार पर) परियोजना संचालन समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा।

ख) परियोजना संचालन समिति के नामित सदस्यों के समक्ष प्रेजेंटेशन पर अंक दिये जाएँगे। प्रेजेंटेशन के लिए अधिकतम 30 अंक होंगे। उसके पश्चात वाणिज्यिक बिडों को खोला जाएगा।

ग) तकनीकी बिड तथा प्रेजेंटेशन के लिए प्राप्तांकों के आधार पर बिडरों का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। वाणिज्यिक बिड के लिए न्यूनतम कोट के साथ सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले तीन प्रमुख बिडरों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि चयनित बिडर इसे स्वीकार नहीं करता तो अगले उच्चतम अंक पाने वाले बिडर को आमंत्रित किया जाएगा।

10. गोपनियता समझौता / निष्पादन गारंटी

चयनित बिडर को बिड राशि/ संविदा मूल्य के 110% की सीमा तक निष्पादन गारंटी प्रदान करनी होगी तथा परियोजना स्वीकार करने के समय निर्धारित प्रारूप में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

11. भुगतान की शर्तें

ई सी जी सी स्रोत पर कर कटौती के पश्चात चयनित बिडर को स्वीकृत व्यावसायिक शुल्क की अदायगी करेगा।

विवरण	**संविदा राशि का प्रतिशत**
फेज – I	10%
फेज – II	10%
फेज - III (क)	35%

फेज – III(ख)	35%
फेज - IV	10%

12. विविध निबंधन व शर्तें

i) डाक विलंब अथवा छुट्टियों के कारण अंतिम तारीख के भीतर बिड की अप्राप्ति के लिए ईसीजीसी जिम्मेदार नहीं होगा ।

ii) ई सी जी सी को अधिकार है कि ई सी जी सी के वेब साइट पर प्रदर्शित अधिसूचना के अधीन प्रस्तुति की अंतिम तारीख के पहले किसी भी समय आर एफ पी को संशोधित करे। बिडर , आर एफ पी के लिए प्रस्तुति के लिए अंतिम तारीख तक नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

iii) आर एफ पी की आवश्यकताओं की पूर्ति न करने वाले बिडों पर ई सी जी सी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि ई सी जी सी को अधिकार है कि किसी भी समय आर एफ पी की किसी भी आवश्यकता से छूट प्रदान करे।

iv) ई सी जी सी को अधिकार है कि संविदा प्रदान करने के पहले किसी भी समय आर एफ पी प्रक्रिया को रद्द कर दे, जिससे उसे प्रभावित बिडरों के प्रति किसी प्रकार की आर्थिक देयता का वहन न करना पड़े। ई सी जी सी द्वारा निर्धारित अनुसार संविदा रद्द करने के कारणों में निम्न शामिल हो सकते हैं :

- अपेक्षित सेवाओं की आवश्यकता न होना
- अनपेक्षित घटकों तथा / अथवा नए कारणों के कारण कार्य की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से अथवा स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया जाना
- कार्य / परियोजना के लिए प्रस्तावित शुल्क का अस्वीकार्य होना
- कोई अन्य कारण

v) बिडरों द्वारा , अपने प्रस्तावों की तैयारी , ई सी जी सी में लगने वाले उनके दौरे, परियोजना संचालन समिति के समक्ष उनके प्रेजेंटेशन आदि के लिए होने वाले व्यय वहन करने होंगे।

इस प्रकार की लागत पर ई सी जी सी की किसी प्रकार की देयता नहीं होगी चाहे चयन प्रक्रिया के संचालन अथवा परिणाम कुछ भी हो।

vi) ई सी जी सी को अधिकार है कि आर एफ पी की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बिड में प्रदान की गई जानकारी की वैधता का सत्यापन करे तथा जहां बिड की विषय वस्तु गलत पायी गयी, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से , किसी भी बिड को नामंज़ूर करे।

vii) क आर एफ पी के सभी पृष्ठों पर बिडर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। तकनीकी बिड के साथ, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्रबंध निदेशक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

viii) ई सी जी सी द्वारा उसके विवेक से परामर्शदाता कंपनी के कर्मचारियों से ई सी जी सी की जानकारी / दस्तावेज़ों आदि की गोपनियता बनाए रखने का वचन लिया जा सकती है। ई सी जी सी द्वारा परामर्शदाता के कर्मचारियों के बायोडेटा में उल्लिखित उनके कार्य अनुभव से संबन्धित विवरण व साथ ही साथ उनके परिचय का विवरण की मांग की जा सकती है / प्रतिसत्यापन किया जा सकता है।

अनुलग्नक: ए (तकनीकी प्रस्ताव हेतु आवरण पत्र)

(परामर्शदाता के पत्रशीर्ष पर बैंक के लिए पत्र)

दिनांक:_____

सेवा में,

महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
ईसीजीसी लिमिटेड
निर्मल पाँचवीं मंज़िल
नरीमन पॉइंट
मुंबई -400021

महोदय,

विषय: भारतीय लेखा मानक(इंड एएस) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफ़पी

हम एतदद्वारा, आपके आरएफ़पी में विवरित अनुसार एक सीलबंद लिफाफे में, ईसीजीसी लिमिटेड में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए, अपना तकनीकी बिड/प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

हम आरएफ़पी में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हैं। यह प्रस्ताव हम पर बिड वैधता अवधि के दौरान बाध्यकारी होगा यथा बिड प्रस्तुति की अंतिम तारीख से 90 दिनों तक तथा करार की बातचीत के दौरान किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होगा।

भवदीय

(नाम एवं पदनाम , कंपनी की मोहर)
संलग्न: सीलबंद लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव ।

अनुलग्नक बी

प्रस्ताव फॉर्म

(तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे में शामिल करने हेतु)

सेवा में,

महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
ईसीजीसी लिमिटेड
निर्मल पाँचवीं मंज़िल
नरीमन पॉइंट
मुंबई -400021

महोदय,

विषय: भारतीय लेखा मानक(इंड एएस) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफ़पी

उपरोक्त आरएफ़पी दस्तावेज़ों में वर्णित अपेक्षाओं की अनुपालन में ईसीजीसी लिमिटेड में इंड एएस के कार्यान्वयन हेतु हमारी परामर्श सेवाओं हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

यदि हमारी बिड स्वीकार की गयी तो, आर एफ पी में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करने, कार्य सौंपने तथा कार्य पूरा करने का वचन देते हैं।

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा बिड में प्रस्तुत की गयी जानकारी सही एवं सत्य हैं । हम आरएफ़पी में निरीधारित निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करना स्वीकार करते हैं।

हम घोषित करते हैं कि हमने आरएफ़पी दस्तावेज़ में किसी प्रकार के संशोधन / परिवर्तन नहीं किए गए हैं एवं हम इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि किसी भी परिवर्तन की स्थिति में ईसीजीसी के पास उपलब्ध आरएफ़पी दस्तावेज़ प्रामाणिक एवं बाध्यकारी माना जाएगा तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत बिड / प्रस्ताव को ईसीजीसी द्वारा नामंजू किया जाएगा।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि करते हैं कि हमारे अथवा हमारे निदेशकों/ प्रबन्धकों/ कर्मचारियों पर किसी भी न्यायालय में अनाचरण के मामले विचारधीन नहीं नहीं है अथवा न ही किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अथवा दोषी अथवा आपराधिक मामला सिद्ध किया गया है अथवा कोई विपरीत आदेश पारित किया गया है यदि भविष्य में ऐसा होता है तो तत्काल ही ई सी जी सी को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

हम वचन देते हैं कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ , भ्रष्टाचार निरोधी कानून,1988 के अधीन , भारत में प्रभावी क़ानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे।

हमें ज्ञात है कि ईसीजीसी, इस प्रक्रिया में, हमारी प्रतिभागिता के अनुरोध को स्वीकार करने अथवा हमारी बिड को मंजूर करने अथवा किसी बिड को अस्वीकार करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। हम इस बात से भी सहमत हैं एवं पुष्टि करते हैं कि बिड दस्तावेज़ को तैयार करने, ईसीजीसी में आने-जाने, परियोजना संचालन समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने आदि से संबन्धित व्यय अथवा कोई अन्य गतिविधि जो बिड प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं हेतु हमारे द्वारा किए गए व्यय का दावा प्रस्तुत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि ईसीजीसी को बिड प्रक्रिया को पुनः जारी/पुनः प्रारम्भ करने के अधिकार हैं व इस संबंध में हमें आपत्ति करने का अधिकार नहीं है और न इस संबंध में हम

किसी प्रकार का रोक लगा सकते हैं। इस विषय में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं हम पर बाध्यकारी होगा। हमें ज्ञात है कि ईसीजीसी न्यूनतम अथवा कोई अन्य प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

दिनांक 2016

_____

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक सी
तकनीकी बिड

भारतीय लेखा मानक(इंड एएस) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफ़पी

संदर्भ सं . ईसीजीसी/आरएफ़पी/इंड-एएस/01/2016 दिनांक: सितम्बर 06, 2016

विवरण	विवरण हेतु दी जाने वाली सूचनाएँ	प्रस्तुत किए जाने वाले संलग्नकों का विवरण
बिडर का नाम		
पंजीकृत कार्यालय का पता		
दूरभाष / मोबाइल नं॰		
ईसीजीसी से समझौता करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम		
बिडर के कार्यालय की स्थापना की तारीख		
ईमेल		
इंड एएस/ आईएफ़आरएस के कार्यान्वयन का अनुभव		
बीमा/ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में आईएफ़आरएस की लेखा-परीक्षा का अनुभव		यदि आवश्यक हो, अलग से पृष्ठ जोड़ें(प्रत्येक कार्य के लिए कार्यक्षेत्र का विवरण दें) इसके सबूत हेतु उल्लिखित संस्थाओं से प्राप्त पत्रों को संलग्न करें।

टीम लीडर एवं अन्य व्यावसायिक कर्मचारियों के नाम सहित उनकी संख्या जो इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए जाएँगे। ई सी जी सी की स्वीकृति के बिना टीम लीडर को नहीं बदला जा सकता		इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न सी वी फॉर्मेट में टीम हेतु चयनित व्यक्तियों का विवरण
कर संबन्धित पंजीकरण		
पैन संख्या : वैट संख्या : टिन संख्या:		

बिडर के भागीदारों का विवरण.

क्र.सं.	भागीदार का नाम	आईसीएआई के साथ भागीदार की सदस्यता संख्या

बिडर के पूर्णकालिक व्यावसायिक कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	व्यावसायिक कर्मचारी का नाम	आईसीएआई की सदस्यता संख्या

*ICAI-भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट संस्थान

दिनांक

_____

ई सी जी सी लिमिटेड

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक : डी

(परामर्शदाता फर्म/कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाये)

आरपीएफ़ एवं ईएमडी के मूल्य हेतु आवरण पत्र

(तकनीकी बिड के साथ संलग्न करने के लिए)

सेवा में,

महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
ईसीजीसी लिमिटेड
निर्मल , पाँचवीं मंज़िल
नरीमन पॉइंट
मुंबई -400021

महोदय,

इसके साथ आरएफ़पी दस्तावेज़ एवं बयाना राशि (ईएमडी) हेतु डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)	डीडी संख्या.	डीडी दिनांक	अदाकर्ता बैंक.
1	आरएफ़पी का मूल्य	5,000/-			
2	ईएमडी	50,000/-			

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

संलग्न: आरएफ़पी एवं बयाना राशि का डिमांड ड्राफ्ट

ई सी जी सी लिमिटेड

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक ई

वाणिज्यिक बिड
(वाणिज्यिक प्रस्ताव के लिफाफे में रखने हेतु)

दिनांक: .....

महोदय,

विषय: भारतीय लेखा मानक(इंड-एएस) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति

हम प्रस्तावित कार्य हेतु निम्नानुसार हमारी वाणिज्यिक बिड(शुल्क) प्रस्तुत करते हैं :

राशि अंकों में(रु.)	
राशि शब्दों में	

निबंधन व शर्तें

1. उपरयुक्त कोट, सभी व्यय तथा लागू कर सहित है ।
2. हम वचन देते हैं कि प्रस्ताव / समझौते में उल्लिखित अनुसार सभी कार्य सौंपेंगे तथा आर एफ पी दस्तावेज़ में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करेंगे।
3. ई सी जी सी भुगतान करते समय कर कटौती (टी डी एस), यदि लागू हो तो, करेगा।

दिनांक

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक एफ

(वचन पत्र)
(बिडर के पत्र शीर्ष पर)

हम एतदद्वारा वचन देते हैं कि ई सी जी सी के लिखित आदेश के बिना हम एवं हमारे कर्मचारियों द्वारा ई सी जी सी द्वारा प्रदान की गयी कोई भी जानकारी (इसके अन्य सेवा प्रदाताओं सहित) अथवा इंड ए एस कार्यान्वयन कार्य करते समय हमारे समक्ष आयी जानकारी को, परियोजना को पूर्ण करने के लिए बिडर द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे। किसी भी कर्मचारी को केवल उतनी ही जानकारी दी जाएगी जितनी कि उसे परियोजना के साथ साथ उसके कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। हमारे द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए कर्मचारी पूर्ण गोपनियता बनाए रखेंगे।

ई सी जी सी के पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना इंड ए एस परियोजना की पूर्ति के उद्देश्य के अलावा हम एवं हमारे कर्मचारी, किसी भी दस्तावेज़ अथवा जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे।

हम, परामर्शदाताओं के चयन तथा नियुक्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि इसका उल्लंघन किया जाये तो ई सी जी सी यथोचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक जी

परियोजना में कार्य करने वाले व्यावसायिक कर्मचारियों का विवरण

(इस प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग पृष्ठ का प्रयोग करें।)

1. कर्मचारी का नाम :

2. ईमेल :

3. दूरभाष सं..(कार्यालय) :

4. मोबाइल नं. :

5. फर्म में कार्य प्रारम्भ करने की तारीख :

6. शैक्षणिक योग्यता :

7. अनुभव :

क्र.सं.	पूर्ण की गयी इंड-एएस/आईएफ़आरएस परामर्शदाता/लेखापरीक्षा सेवाओं का विवरण	भारत/विदेश में पूर्ण की गयी सेवाओं तथा जिन संस्थाओं में कार्य किया गया है , का संक्षिप्त विवरण	अवधि : दिनांक से दिनांक तक
01			
02			
03			

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक: एच

प्राधिकार पत्र का प्रारूप
(बिडर के पत्र शीर्ष पर)

सेवा में,

महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
ईसीजीसी लिमिटेड
निर्मल पाँचवीं मंज़िल
नरीमन पॉइंट
मुंबई -400021

महोदय,

विषय: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र
संदर्भ सं . ईसीजीसी/आरएफ़पी/इंड-एएस/01/2016 दिनांक: सितम्बर 06, 2016

हम एतदद्वारा श्री/ श्रीमती / सुश्री ---------- को उक्त बिड / प्रस्ताव की प्रक्रिया अथवा परियोजना की पूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

नमूना हस्ताक्षर , निम्नानुसार साक्ष्यांकित :

(नाम एवं पदनाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नमूना हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

प्रबंध निदेशक /प्रबंध भागीदार के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान: